## Order sheet [Contd]

case No.B.A.-400/17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

22-11-17 04:00 P.M. to 04:15 P.M.

आवेदक दामोदर शर्मा द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित। थाना एण्डोरी के अपराध कमांक 104/17 अंतर्गत धारा 304बी, 34 भा0दं0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—438 जा0फौ0 के साथ आवेदक दमोदर ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट होता है।

आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—438 जा०फौ० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक कृषि पेशा व्यक्ति होकर सीधा साधा व्यक्ति है। आवेदक का किसी प्रकार के अपराध से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। पुलिस थाना एण्डोरी ने असत्य घटना कम का वर्णन करते हुए उसके विरूद्ध झुठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयत्नशील है। आवेदक के भतीजे अजय शर्मा का विवाह मृतिका आरती देवी से करीब 03 वर्ष पूर्व बिना किसी दान दहेज के हुआ था। आवेदक एवं मृतिका के ससुर का बटवारा आज से करीब 8–9 वर्ष पर्व ही हो गया था। आवेदक अपने परिवार सहित बच्चों की शिक्षा के लिए ग्वालियर निवास करता है। आवेदक ने मृतिका से कभी भी किसी प्रकार से दहेज की मांग नहीं की है। फरियादी ने विरोधियों के बहकावे में आकर कथित झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। आवेदक अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला एकमात्र सदस्य है। आवेदक कृषि पेशा व्यक्ति है और इस समय बुबाई का समय चल रहा है यदि आवेदक को उक्त अपराध में न्यायिक निरोध में लिया गया तो उसकी कृषि भूमि बिना बुबाई के रहा जाएगी और ऐसी स्थिति में उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया

गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार मृतिका आरती देवी का विवाह दिनांक 10.02.15 को अजय शर्मा निवासी एण्डोरी के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात से मई 2016 से पति अजय शर्मा सास अरूणा ससुर कल्लू प्रसाद चिया ससुर दामोदर दहेज में आरती देवी से बुलट मोटरसाइकिल की मांग कर प्रताडित करते थे, अजय मारपीट करता था, सास ससूर चाचा उसका साथ देते थे। समझाने पर भी वे लोग नहीं माने उक्त प्रताडना से तंग आकर दिनांक 10.10.2017 को सुबह आरती ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली इस प्रकार विवाह के सात वर्ष के भीतर आरती की मृत्यू सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होना पाई गई। दिनांक 10.10.17 को आरती भाई संतोष शर्मा को आरती की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसने एण्डोरी बहन की सस्राल पहुंचने के बाद थाना एण्डोरी में मर्ग सूचना दर्ज कराई जिसकी जांच पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पाए जाने से थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

मामले की उक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक दामोदर शर्मा को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप आवेदक दामोदर शर्मा के अग्रिम जमानत आवेदनपत्र को निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापिस की जावे। Fedferial Fedferial प्रकरण का सार अंकित कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड